eeasind@gmail.com

कार्यालय उप वन संरक्षक, राजसमन्द

Sadhna Sikhar Road, Rajsamand Phone & Fax No. 02952-220096 Email- dcf.rjsmnd.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः पत्रा ( ) सर्वे/एफ.सी.ए./उवसं/2017–18/ 2431 दिनांकः 16-06-17

16-6-17

निमित्त :–

अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड आसीन्द
जिला –भीलवाड़ा।

विषयः– *Diversion of 0.525ha. of forest land (0.31 hectares in Rajsamand district and 0.215 hectares in Bhilwara district) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division ASIND (Rajasthan) for laying of drinking water pipeline from Lalpura to Bhadsi under CBWSP phase II package I* (प्रस्ताव सं. *FP/RJ/WATER/16150)*

संदर्भः– राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र कमांक प 1(35)वन/2017 जयपुर दिनांक 29.05.17 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार वन विभाग का पं. कमांक प. 1(35) वन/2017 जयपुर दिनांक 29.05.2017 फोटो प्रति संलग्न द्वारा वांछित प्रकरण में बिना वृक्षों के पातन की सशर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है।

सैद्धान्तिक शर्तों की पूर्ण पालना हेतु आप निम्नानुसार उल्लेखित राशियां Compensatory Afforestation Fund (CAF) Rajasthan, SB A/c No. 037100101025225 Corporation Bank, CGO Complex Lodi Road, New Delhi- 110003 (RTGS/IFSC No. CORP0000371) में तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करवाकर ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई राशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति प्रेषित करावें।

1. शर्त सं. 9 के अनुसार 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु संलग्न तालिका के अनुसार राशि रूपये 7,53,000/– (सात लाख तिरेपन हजार मात्र) जमा करावें।
2. शर्त संख्या 10 की पूर्ण पालना हेतु राजसमन्द वनमण्डल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 0.31 हैक्टर हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास–I मे सघन वन मानते हुए रू. 8,87,000/– प्रति हैक्टर की दर से राशि रू. 2,74,970/– (अंकेन दो लाख चोहत्तर हजार नौ सो सत्तर मात्र) जमा करावें।

साथ ही प्रासंगिक पत्र द्वारा अधिरोपित सैद्धान्तिक शर्तों की पूर्ण ठोस अनुपालना रिपोर्ट भिजवावें ताकि उच्च कार्यालय को अग्रेषित की जा सके।

संलग्न :– पं. दिनांक 29.05.2017 फोटो प्रति।

भ व दी य

(शत्रुघ्न सिंह चुण्डावत)
उप वन संरक्षक
राजसमन्द

क्रमांकः पत्रा ( ) सर्वे/एफ.सी.ए./उवसं/2017–18/ दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा को आपके पत्रांक 6181 दिनांक 06.06.2017 के क्रम मे सूचनार्थ।

उप वन संरक्षक
राजसमन्द

कार्यालय उप वन संरक्षक, राजसमन्द

Phone No.02952-220096 Fax No. 02952-220096 Email- dcf.rjsmnd.forest@rajasthan.gov.in

तालिका–A

मॉडल कॉस्ट एस्टीमेट मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण के आधार पर 100 वृक्षों के रोपण व 10 वर्षों तक रख–रखाव पर व्यय का विवरण :–

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	2	3
1.	**प्रथम वर्ष** :– अग्रिम कार्य व वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु 100 ट्री गार्ड @ 750/– प्रति तथा श्रमिक दर @ 201/– से आंकलित एक श्रमिक सुरक्षा हेतु सहित	1,65,000/–
2.	**द्वितीय वर्ष** :– संधारण 1 सुरक्षा गार्ड सहित	75,000/–
3.	**तृतीय वर्ष** :– संधारण	72,000/–
4.	**चतुर्थ वर्ष** :– संधारण	63,000/–
5.	**पंचम से दशम वर्ष** :– संधारण 63000x6 =	3,78,000/–
	योग	7,53,000/–
	अंकेन सात लाख तिरेपन हजार मात्र नोट :– उक्त गणना में सुरक्षा हेतु एक श्रमिक @ 201/– प्रति दिन की दर से 12 माह हेतु राशि 62712/– प्रतिवर्ष शामिल है।	

भ व दी य

उप वन संरक्षक
राजसमन्द

E/Year_2010/Accounts/Portrait/

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

क्रमांक / एफसीए / उवस / 15–16 / 6180 दिनांक 6/6/17

अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
परियोजना प्रभाग आसीन्द (राज.)

विषय– Diversion of 0.525 ha. of forest land (0.31 ha. in Rajsamand district and 0.215 ha. in Bhilwara district) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineering Department. Project Division Asind (Rajasthan) for laying of drinking water pipeline from Lalpura to Bhadsi under CBWSP phase II package I

प्रसंगः– प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/WATER/16150/2016) एवं राजस्थान सरकार वन विभाग का पं. कमांक प. 1 (35)वन / 2017 जयपुर दि. 29.5.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार वन विभाग का प. कमांक प. 1 (35)वन / 2017 जयपुर दि. 29.5.2017 फोटो प्रति संलग्न द्वारा वांछित प्रकरण में बिना वृक्षों के पातन की सशर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

सैद्धान्तिक शर्तो की पूर्ण पालना हेतु आप निम्नानुसार उल्लेखित राशियां Compensatory Afforestation Fund (CAF) Rajasthan, SB A/c No. 0037100101025225 Corporation Bank , CGO Complox Lodi Road , New Delhi- 110003(RTGS/IFSC No. CORP0000371) में तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करवाकर ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई राशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति प्रेषित करावें।

1. शर्त सं. 9 की पूर्ण पालना हेतु 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु वनमण्डल राजसमन्द द्वारा मांग पत्र दिया जाना प्रस्तावित है। तदानुसार राशि जमा करावें।

2. शर्त सं. 10 की पूर्ण पालना हेतु भीलवाडा वनमण्डल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 0.215 हैक्टर हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III में खुली क्षेत्री का वन मानते हुए रू. 626000 / – प्रति हैक्टर की दर से राशि रू. 0.215 है. X 626000 प्रति है. = 134590 / – रू. जमा करावे।

कृ.प.उ.

Rlease write letter to concerned office for additional budget demand for deposit amount 8/6

59
8/8/17

साथ ही प्रासंगिक पत्र द्वारा अधिरोपित सैद्धान्तिक शर्तो की पूर्ण ठोस अनुपालना रिपोर्ट भिजवावे ताकि वन भूमि प्रत्यावर्तन संबंधी विधिवत स्वीकृति जारी करवाई जा सके।

संलग्न:--प. दि. 29.5.2017 फोटो प्रति।

भवदीय

05.06.17

(ए.एन.गुप्ता)
उप वन संरक्षक
भीलवाडा

क्रमांक / एफसीए / उवस / 15–16 /   दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक,अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, राजसमन्द को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया शर्त सं. 9 की पूर्ण पालना हेतु मांगपत्र आपके कार्यालय से जारी करावे।

(ए.एन.गुप्ता)
उप वन संरक्षक
भीलवाडा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड–आसीन्द

Email ID- eeasind@gmail.com

क्रमांकः 197–200 दिनांक 22.6.17

उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा/ राजसमंद।

विषयः– चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना द्वितीय–चरण पैकेज–प्रथम के तहत वन विभाग के अधीन भूमि से पेयजल पाईप लाईन डालने हेतू राशी जमा करवाने बाबत।

संदर्भः– प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/WATER/16150/2016) एवं शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक– प.1(35) वन/ 2017 दिनांक 29.05.2017 एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक – एफसीए/ उवस/15–16/ 6180 दिनांक 6.06.2017 एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, राजसमन्द के पत्र क्रमांक– पत्रा ( )सर्वे/एफ.सी.ए./उवस/ 2017–18 /2431 दिनांक– 16.06.2017 के मांग पत्र बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना के अन्तर्गत लालपुरा से भादसी तक पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतू 0.525 है0 वन भूमि (0.31 है0 भूमि राजसमंद जिले में तथा 0.215 है0 भूमि भीलवाडा जिले में) प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.05.2017 को जारी की गई।

सैद्धान्तिक शर्तो की पुर्ण पालना हेतू उल्लेखित राशी कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक– एफसीए/उवस/15–16 /6180 दिनांक 6.06.2017 द्वारा राशी 134590.00 रु. एवं कार्यालय उप वन संरक्षक, राजसमन्द के पत्र क्रमांक– पत्रा ( )सर्वे/एफ.सी.ए./उवस/2017–18 /2431 दिनांक– 16.06.2017 द्वारा राशी 1027970.00 रूपये, इस कार्यालय द्वारा कोषकार्यालय आसीन्द के माध्यम से खाता नं SB A/c No. 037100101025225 Corporation Bank, CGO Complex Lodi Road, New Delhi - 110003 (RTGS/IFSC No. CORP0000371) में जमा करवा दी गई है।

अतः चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना द्वितीय–चरण पैकेज–प्रथम के अन्तर्गत लालपुरा से भादसी पेयजल पाईप लाईन का कार्य शुरू करवाने की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करें। **उक्त परियोजना माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2017–18 में सम्मिलित है।**

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता देवे।

22/06/2017

(जी.डी. सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड–आसीन्द

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1(35) वन / 2017 जयपुर दिनांक:-- 29.11.2017

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-- Diversion of 0.525 ha. of forest land (0.31 hectares in Rajsamand district and 0.215 hectares in Bhilwara district) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division ASIND (Rajasthan) for laying of drinking water pipeline from Lalpura to Bhadsi under CBWSP phase II package I.

संदर्भ:-- आपका पत्र कमांक 3766 दिनांक 23.10.2017
प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/WATER/16150/2016)

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना, प्रभाग ASIND, राजस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा--2 में चम्बल भीलवाड़ा वाटर सप्लाई परियोजना के अन्तर्गत लालपुरा से भाड़सी पेयजल लाईन बिछाने हेतु 0.525 है0 वन भूमि (0.31 हैक्टेयर राजसमन्द जिले में तथा 0.215 हैक्टेयर भीलवाड़ा जिले में) प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस कम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.2017 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान के पत्रांक एफ 14(पीएचईडी)2015 / एफसीए / प्रमुवस / 3766 दिनांक 23.10.2017द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ न 11--9 / 98--एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.525 ha. of forest land(0.31 hectares in Rajsamand district and 0.215 hectares in Bhilwara district) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division ASIND (Rajasthan) for laying of drinking water pipeline from Lalpura to Bhadsi under CBWSP phase II package I की बिना वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:--

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ✓
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। ✓
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। ✓
4. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस- पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। ✓
5. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर उनका स्वामित्व वन विभाग का होगा। ✓

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता पी.एच.ई.डी., परि.- खण्ड, आसींद
पत्र प्राप्ति
क्रमांक 1140
दिनांक 7/12/17

7/12/17

6. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए [illegible] प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को [illegible] किरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न [illegible]।

9. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर [illegible] 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुणा [illegible] एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के [illegible] भीतर करना होगा।

10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन [illegible] मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा [illegible] का पालन करेगा।

12. सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.05.2017 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण [illegible] सुनिश्चित की जायेगी।

13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालना नहीं होने अथवा असंतोषजनक [illegible] होने की स्थिति में राज्य सरकार को स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(योगेन्द्र कुमार [illegible])

शासन सचिव

कार्यालय उप वन संरक्षक भीलवाड़ा

क्रमांक/ विकास/ 12133-35 दिनांक

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड [illegible] को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

प्रति. क्षेत्रीय वन अधिकारी भीलवाड़ा/ [illegible] को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(एच. एस. हापावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

AEN Rajesh
While lease for compliance
Report and intimate to
firm for strictly
compliance of all instruction
issued along with sanction
Copy to higher officers for information
EE